

# न्यायालय नायब तहसीलदार श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

मुकदमा नम्बर 32/2018 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

उनवान : राज्य सरकार बनाम राजूराम

## निर्णय

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बिग्गा बास रामसरा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर.एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि गैर सायल राजूराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी अमृतवासी द्वारा ग्राम अमृतवासी के आराजी खसरा नम्बर 30 तादादी 11.96 है. किस्म भूमि गै.मु.ओरण भूमि में से 840 वर्गमीटर भूमि पर सम्बत् 2075 में नाजायज पक्का निर्माण कर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।


प्रकरण दर्ज कर रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थाना भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 का नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत् तामिल कराया गया। गैर सायल बावजूद विधिवत् नोटिस तामिल के असालतन व वकालतन उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरुद्ध दिनांक 27.06.2018 को ईकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत् कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई संतोषजनक जवाब/प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल राजूराम का उक्त खसरा नम्बर 30 तादादी 11.96 है. गै.मु.ओरण भूमि में से 840 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। गैर सायल राजूराम अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः गैर सायल राजूराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी अमृतवासी द्वारा ग्राम अमृतवासी के आराजी ख.नं. 30 तादादी 11.96 है. गै.मु. ओरण भूमि में से 840 वर्गमीटर भूमि का सम्बत् 2075 का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान 0.42 रूपये का 50 गुणा से 21.00 रूपये की शास्ती आरोपित की जाती है।

त.रा.ले. को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू.अ.नि. को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

  
नायब तहसीलदार  
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर) राज